उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-53/2020/1026/26-3-2020

लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च 2020

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-134/2019/2263/26-3-2019, दिनांक-31.05.2019 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश में संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में फायर अलार्म सिस्टम एवं फायर हाइड्रेन्ट लगाये जाने हेतु धनराशि रू0-1484.86 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

2- अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश के प्रथम प्रस्तर में त्रुटिवश लेखाशीर्षक-4225-01-789-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-वृहद निर्माण कार्य के स्थान पर लेखाशीर्षक-4225-01-789-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-वृहद निर्माण कार्य अंकित हो गया है।

3- शासन के उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक-31.05.2019 के प्रथम प्रस्तर में लेखाशीर्षक-4225-01-789-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-वृहद निर्माण कार्य के स्थान पर लेखाशीर्षक-4225-01-789-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-वृहद निर्माण कार्य पढ़ा जाय।

4- शासनादेश संख्या-134/2019/2263/ 26-3-2019, दिनांक-31.05.2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश के शेष अंश यथावत रहंगे।

सतीश कुमार

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृसं0-53/2020/1026 (1)/26-3-2020 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

4- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

5-संलग्न सूची के अनुसार समस्त जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

7- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

8-प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, उ0प्र0,लखनऊ।

9- निदेशक, एन0आई0सी0।

10-गार्डफाइल

आज्ञा से,

सतीश कुमार

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।